

—:: संचालनालय लोक शिक्षण ::—

एकीकृत शिक्षा परिसर, पेशनवाड़ा

रायपुर (छत्तीसगढ़)

— बागट —

फैक्स-0771-2445215

दूरभाष-0771-2331385, 4283004

क्रमिक / २५२ / बजट / म.भो.-पुन. / 59 / 2012-13 / रायपुर, दिनांक

जून-2012

प्रति,

सर्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी,

छत्तीसगढ़

विषय :- मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत रसोइयों के भुगतान हेतु आबंटन का पुनर्बंटन - वित्तीय वर्ष 2012-13 - (प्रथम किस्त - 05 माह के लिये) ।

मध्याह्न भोजन योजना वित्तीय वर्ष 2012-13 के प्रथम 05 माह हेतु रसोइयों के माजदूरी के भुगतान हेतु सलंगन पत्रक अनुसार आपके जिले के सम्मुख अनुसार 04 बजटशीर्ष में प्राथमरी के 04 बजटशीर्ष हेतु 1684.20 लाख तथा अपर प्राथमरी के 04 बजटशीर्ष में 883.50 लाख कुल 2567.70 लाख (पच्चीस करोड़ सड़सठ लाख सत्तर हजार मात्र) के आबंटन का पुनर्बंटन किया जाता है ।

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अंतर्गत MHRD के मानदर्शन में ऑन लाईन मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया गया है, व कार्यक्रम से संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टियां अद्यतन की जा रही हैं । आपको ज्ञात है कि ऑन लाईन मॉनिटरिंग सिस्टम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के मार्गनिर्देशन में जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को "लॉग इन" रखा गया है, अतः सुविधा की दृष्टि से इस बार कुकिंग कास्ट एवं रसोइयों की मानदेय राशि का आबंटन आपके माध्यम से पुनर्बंटन किये जाने हेतु आपको दिया जा रहा है । जारी आबंटन का व्यय विवरण ऑन लाईन मॉनिटरिंग सिस्टम में दर्ज किया जाना अनिवार्य है, इसी आधार पर ही अब भारत सरकार को त्रैमासिक प्रतिवेदन भेजा जावेगा । अतः आप प्रति माह व्यय की जानकारी अनिवार्य रूप से ऑन लाईन मॉनिटरिंग सिस्टम में दर्ज करें। यदि इसकी प्रविष्टि नहीं होती है तो इसका उत्तरदायित्व आपका माना जावेगा ।

ऑन लाईन साफ्टवेयर में लाभान्वितों की संख्या के आधार पर ही स्व सहायता समूह को राशि का भुगतान किया जावे । इस संबंध में विकासखंड लॉगइन तथा जिला शिक्षा अधिकारी लॉगइन में रिपोर्ट का उपयोग किया जाए ।

उपरोक्त के संबंध में संचालनालय के मध्याह्न भोजन कक्ष द्वारा निर्देश / नियम जारी किये गए हैं उसका कड़ाई से पालन किया जावे व तसी अनुसार भुगतान की कार्यवाही करें ।

सलंगन : आबंटन पत्रक

"आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा अनुमोदित"


संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमशः 02 पर

Attd. 2012-13.

- 4 -

पु.क्रमोंक/ /बजट/म.भौ.-पुर्न./59/2012-13/सयपुर,दिनोंक जून 2012
प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी स्कूल शिक्षा की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. सचिव, वित्त विभाग, छ.ग. शासन की ओर सादर सूचनार्थ ।
3. अपर मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, छ.ग. शासन की ओर सादर सूचनार्थ ।
4. सचिव, पंचायत एवं समाज सेवा, छ.ग.शासन की ओर सादर सूचनार्थ ।
5. महालेखाकार छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ ।
6. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ ।
7. सर्व संबंधित कोषालय अधिकारी, छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
8. सर्व संबंधित मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
9. सहायक संचालक मध्याह्न भोजन, संचालनालय लोक शिक्षण की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रप्रेषित । आवंटन जारी किया जा चुका है । इस वर्ष जारी किये गए आवंटन के व्यय के संबंध में तत्काल दिशा-निर्देश जारी करने का कष्ट करें ताकि इसी अनुसार जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जा सके ।
10. कक्षा प्रभारी, आडिट/पुर्नमितान, संचालनालय लोक शिक्षण, सयपुर की ओर सूचनार्थ ।

संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

प्रा. वि. १००० वर्षीय

दियाई गई विवरणानुसार जारी की जाने वाली स्टाइकों के मासिक की रकम का प्रत्यक्ष विवरण = इस मास में प्रति स्टाइक प्रति माह 1000 रुपये का प्रत्यक्ष

MCM 12-13

[illegible]

[illegible]

1. 2018年12月31日，本公司在“信用中国”网站查询到，本公司及子公司存在以下失信记录：